रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 1984/आषाढ़ 18, 1906

No. 252] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 1984/ASADHA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1984

सा. का. नि. 502(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक घर सावधिक जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है : अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक घर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. डाक घर सावधिक जमा नियम, 1981 के नियम 9 में, —

(क) प्रारम्भिक भाग में, "जमा पर ब्याज परिपक्वता की तारीख से जमा के प्रतिसंदाय तक अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "संदेय राशि पर ब्याज परिपक्वता की तारीख से जमा के प्रति संदाय की तारीख तक अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) खंड (ग) में, "ब्याज जमाकर्ता को जमा के प्रति संदाय के समय एक मुश्त दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "ब्याज जमाकर्ता को संदेय राशि के प्रति संदाय "के समय एक मुश्त दिया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 2/26/83-एन.एस.]

ए. रंगाचारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि.सं. 664(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1981 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 257(अ) तारीख 11 मार्च, 1983 द्वारा उनका संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1984

G.S.R. 502(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Time Deposit Rules, 1981, in rule 9,—

(a) in the opening portion, for the words "interest shall be allowed on the deposit", the words "interest shall be allowed on the amount due" shall be substituted; and

(b) in clause (c), for the words "repayment of deposit", the words "repayment of the amount due" shall be substituted.

[No. F. 2|26|83-NS]
A. RANGACHARI, Jt. Secy.

Note. The principal rules were published vide G.S.R. No. 664(E) dated the 17th December, 1981 and were subsequently amended vide G.S.R. No. 257(E) dated the 11th March, 1983.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984